न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्र.क्रं. नि.ग 3660 – I V सन् 2016

श्रीमती रामकली यादव पुत्री स्व. श्री चुन्टा यादव

नि0 यादव कॉलोनी छतरपुर तह0 व जिला छतरपुर म.प्र. ------------निगरानीकर्ता

बनाम

1. जीतेंद्र सिंह चौहान तनय सुरेन्द्र सिंह चौहान

नि0 नौगांव तह0 नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.

2. शासन म.प्र. ------------------अनावेदकगण

353
21-10-16

निगरानी आदेश विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय छतरपुर तह0 व जिला छतरपुर के प्रकरण कं. 27/अ–3/15–16मे पारित आदेश दिनांक 7.10.2016 जिसमे तरमीम कार्यवाही स्थगित किये जाने का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, से दुखी होकर ।

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित विनय करती है –

निगरानी के तथ्य

1– यह कि संक्षिप्त में निगरानी प्रकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन तरमीम प्रकरण में वादग्रस्त भूमि सर्वे नंबर 3429/2, 3430/2, 3431/2, 3428/3, 3434/1/2, 3434/1/3, 3436/2 कुल किता –7 कुल रकवा 4.537 है0 भूमि तथा इसके अलावा भूमि खसरा नं. 3420, 3421, 3422, 3423, 3425, 3426, 3428, 3429, 3430, 3431, 3433, 3434, 3436,3488/1 स्थित मौजा छतरपुर की भूमियॉ निगरानीकर्ता की पैत्रिक भूमियॉ है जो सम्वत् 2011, 2012, 2015 के राजस्व रिकार्ड में आपत्तिकर्ता के पिता चुन्टा अहीर के नाम भूमि स्वामी स्वत्व व आधिपत्यधारी दर्ज रही है जो निरन्तर 1979–80 तक दर्ज रही । वर्ष 1979 मे आपत्तिकर्ता के पिता का देहान्त हो गया जिसके बाद उक्त सम्पूर्ण आराजी निगरानीकर्ता को वारिसान हक मे भूमि स्वामी हैसियत मे प्राप्त हुई तदानुसार वर्ष 1979 से 8 वर्ष 1987–88 तक राजस्व अभिलेखो मे बतौर भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी निगरानीकर्ता का नाम दर्ज रहा ।

2– यह कि निगरानीकर्ता अनपढ़ देहाती महिला थी उसकी इस स्थिति का बेजा लाभ उठाते हुये महेश्वर दामोदर काले जो तत्कालीन समय मे छतरपुर के प्रभावशाली वकील थे उन्होंने

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3660—एक / 2016 जिला छतरपुर

रामकली यादव विरूद्ध जीतेन्द्र सिंह चौहान

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25—2—2019	आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द्र सिंह एवं अनावेदक अभिभाषक श्री विनोद भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 27 / अ—3 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 7—10—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2 / पक्षकार दिनांक 18—4—2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 25/2/2019 (आर0के0 जैन) सदस्य	